कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-27.10.2024

विषयः- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त मुस्तफा थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, अपहृता/पीड़िता सकुशल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व मे थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-120/2024 धारा 363,366,506 भा0द0वि0 थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित नाबालिग अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए नामजद वांछित अभियुक्त मुस्तफा पुत्र मो0 अजीज निवासी घोरावल वार्ड नं0-4 थाना घोरावल जनपद सोनभद्र को आज दिनांक-27.10.2024 को समय करीब 12.10 बजे कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-04.04.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता की माँ ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि प्रतिवादी मुस्तफा पुत्र अज्ञात निवासी रावर्टसगंज प्रार्थिनी/वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष पर बुरी नजर रखता था और हमेशा छेड़खानी किया करता था तथा कहता था कि मैं किसी दिन इसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाऊंगा। प्रतिवादी मुस्तफा की इन हरकतों की शिकायत प्रार्थिनी/वादिनी ने उसके भाई से किया तो उसके भाई ने उसको समझाया बुझाया और आश्वासन दिया कि अब कभी उनकी लड़की के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। दिनांक-24/12/23 की रात्रि में करीब 01 बजे प्रार्थिनी/वादिनी की नाबालिग पुत्री गायब हो गयी तत्पश्चात प्रार्थिनी/वादिनी द्वारा अपने रिश्तेदारों व परिचित के यहाँ पता किया लेकिन कोई जानकारी नहीं हुयी। लगभग बीस दिन बाद प्रार्थिनी/वादिनी के रिश्तेदारों द्वारा पता चला की मेरी पुत्री को प्रतिवादी मुस्तफा अपने साथ भगा कर ले गया है। फिर प्रार्थिनी/वादिनी ने मुस्तफा के मो0नं0 से दिनांक-02/04/24 को बात करने पर प्रतिवादी मुस्तफा द्वारा कहा गया की मैं तुम्हारी लड़की को भगा कर लाया हूँ और मैं इसके साथ कुछ दिन बीता कर जब मन भर जायेगा तब इसे सराय में बेच दूंगा और तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और दोबारा फोन की या परेशान करोगी तो तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा, जिसके आधार पर थाना शिवपुर में मु0अ0सं0-120/2024 धारा 363,366,506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 चंद्र भूषण द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुस्तफा पुत्र मो0 अजीज निवासी घोरावल वार्ड नं0-4 थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- नाबालिग अपहृता/पीड़िता, उम्र 17 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी के पास से, दिनांक-27.10.2024 को समय करीब 12.10 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-120/2024 धारा 363,366,506 भा0द0वि0 थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 चन्द्रभूषण थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2- उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3- म0का0 नीलम यादव थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।